

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रघुवीर शरण

बनाम

सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या : 49/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.11.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम व तहसील जमवारामगढ में स्थित खातेदारी भूमि में रास्ता अत्यन्त आवश्यक होने के कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 393/599 रकबा 0.3800है0 में आने जाने ट्रेक्टर ट्रौली जीव व अन्य वाहन लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 396 रकबा 1.0800है0 में से संलग्न नजरी नक्शों में गुलाबी रंग के अनुसार 40 फिट चौड़ाई का रास्ता जमवारामगढ से जयपुर फॉर लेन रोड की सीमा से खसरा नम्बर 393/599 तक राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जावे।</p> <p>पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 396 की भूमि किस्म गै0मु0नाला होने के कारण भूमि अब्दूल रहमान बनाम सरकार याचिका से प्रभावित एवं प्रतिबंधित किस्म की भूमि है।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रा0 पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर पाया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रास्ते हेतु चाही गई भूमि की किस्म गै0मु0नाला है जो अब्दूल रहमान से प्रभावित है। जिसमें से रास्ता दिया जाना विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधि0 पोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज सरे इजलास सुना गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ